तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
30/03/26	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी की बहस का विवेचन किया गया है:– प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की स्व ख्यालीराम व उसकी धर्मपत्नि ने प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थी को 12 वर्ष की आयु में हिन्दु रिति रिवाज से खोला /दत्तक ग्रहण किया था वादिया स्वय ने उक्त दत्तक ग्रहण को सिविल न्यायालय में चुनौति दि हुई हे तथा सिविल न्यायालय से दतक विलेख को विधि सम्मत माना है जिसकी वादिया ने अपील/रिट कर रखी है जिसका अन्तिम निर्णय होने से पूर्व राजस्व वाद की कार्यवाही को स्थगित किये जाने योग्य है इसी प्रकार स्व ख्यालीराम ने दिनांक 05.05.2003 को वसीयत निष्पादित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत उतराधिकार नियुक्त किया है वादीया ने इस वसीयत दिनांक 05.05.2003 को अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 नोहर में चुनोती दी हुई सिविल वाद के अन्तिम निर्णय तक राजस्व वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने योग्य है। सिविल कोर्ट में विचाराधीन वाद का राजस्व वाद पर सारवान असर पडता है इसलिये उक्त दावा को सिविल कोर्ट के अंतिम निर्णयो तक राजस्व वाद की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सिविल कोर्ट में विचाराधीन वाद के अन्तिम निस्तारण तक राजस्व वाद की कार्यवाही को स्थगित रखने के आदेश फरमावे। अप्रार्थी/वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादीया ने वाद अपने हको की घोषणा बाबत पेश किया हे जो कृषि भूमि से सम्बधित है जिसका सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को है प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित है केवल प्रकरण में देरीना करने के लिये पेश किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही फरमावे। हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया हस्तगत वाद स्व ख्यालीराम की वसीयत एवं दत्तक विलेख के आधार पर अपने हको की घोषणा करवाने का पेश किया गया है सिविल न्यायालय में भी स्व ख्यालीराम की वसीयत एवं दत्तक विलेख के सम्बध में विचाराधीन है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद/प्रार्थना पत्र वसीयत दिनांक 05.05.2003 को शुन्य /प्रोबेट करवाने एवं दत्तक विलेख को साबित करने के सम्बध में विचाराधीन है तथा हस्तगत वाद भी वसीयत में वर्णित भूमि के सम्बध में ही विचाराधीन है जब तक सिविल न्यायालय में वसीयत एव दत्तक विलेख के सम्बध में अन्तिम निर्णय पारित नही हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की घोषणा करना विधि सम्मत नही है। हस्तगत वाद वसीयत के आधार पर ही पेश है जब तक सिविल न्यायालय का निर्णय नही हो जाता तब तक किसी भी प्रकार की घोषणा करने पर सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण प्रभावित हो सकता है सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण से हस्तगत प्रकरण पर सारवान प्रभाव है इसलिए जब तक सिविल न्यायालय का अन्तिम निर्णय नही हो जाता तब तक हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी स्वीकार किय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होने के कारण स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद की कार्यवाही को सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद/प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित किया जाता है सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद/प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाता है

निर्णय दिनांक 30/03/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:11 IST
Reason: SelfAttested